/2024/158)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी – सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या – 112 / 2024 सी.सी.एम.एस. नम्बर – 2024 / 158

दायर दिनांक – 20.06.2024 निर्णय दिनांक – 21.04.2025

1. फगलूराम पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
2. मागीलाल पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
3. हडमानराम पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
4. गोरधनराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
5. गोपालराम पुत्र खीयाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
6. जगदीश गोदपुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
7. गणपतराम पुत्र किशनाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
8. भजनाराम पुत्र किशनाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
9. सहीराम पुत्र भारमलराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
10. गंगाविशन पुत्र भारमलराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
11. मनिष पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
12. मूर्ती पत्नी भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
13. सुमन पुत्री भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
14. प्रियंका पुत्री भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
15. विक्रम पुत्र भंवरलाल जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
16. मोहनराम पुत्र बागाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
17. प्रकाश पुत्र बागाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
18. हनुमानराम पुत्र बागाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
19. गोपालराम पुत्र बिरबलराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
20. खेराजराम पुत्र खानाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. बाबूराम पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
2. शैतानाराम पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
3. हरिकिशन पुत्र छोगाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
4. धुड़ाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थी

21/5/25

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमे वर्णित अभिवचनों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया दावा प्रार्थीगण के पक्ष में है सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। उक्त दावा में प्रार्थीगण को पूर्ण सफलता मिलने की उम्मीद है। ग्राम कानसिंह की सिड वर्तमान नवसृजित ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 189 रकबा 10.3599 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 8.6764 हैक्टेयर काश्त भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व पांचाराम पुत्र मेवाराम का कब्जा व काश्त था। पांचाराम फौत हो चुके है। पांचाराम के हिस्से की भूमि में पांचाराम के सभी पुत्रों का बराबर–बराबर हक व हिस्सा बनता है और पांचाराम के हिस्से की भूमि में सभी पुत्रों का मौके पर 1/6–1/6 हिस्सा अनुसार कब्जा व काश्त है। सेटलमेंट के समय छोगाराम व कानाराम ही कर्ताखानदान थे। खसरा नम्बर 178 रकबा 33–12 बीघा, खसरा नम्बर 179 रकबा 14–18 बीघा, खसरा नम्बर 381 रकबा 76–03 बीघा, खसरा नम्बर 383 रकबा 60–00 बीघा, खसरा नम्बर 423 रकबा 110–05 बीघा, खसरा नम्बर 49 रकबा 423–13 बीघा, खसरा नम्बर 54 रकबा 276–16 बीघा, खसरा नम्बर 81 रकबा 353–08 बीघा, खसरा नम्बर 109 रकबा 545–11 बीघा, खसरा नम्बर 416 रकबा 6–00 बीघा, खसरा नम्बर 648 रकबा 276–08 बीघा, खसरा नम्बर 46 रकबा 11–12 बीघा, खसरा नम्बर 393 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नम्बर 414 रकबा 3–16 बीघा, खसरा नम्बर 421 रकबा 0–16 बीघा, खसरा नम्बर 422 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 424 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 47 रकबा 8–05 बीघा, खसरा नम्बर 384 रकबा 6–16 बीघा, खसरा नम्बर 380 रकबा 1–16 बीघा, खसरा नम्बर 48 रकबा 6–04 बीघा, खसरा नम्बर 382 रकबा 1–15 बीघा भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पूर्वज पांचा वल्द मेवा के कब्जा काश्त अनुसार पैमाईश हुई लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के पिता कानाराम पुत्र पांचाराम पुत्र मेवा ने कर्ताखानदान का फायदा उठाते हुवे ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 189 रकबा 10.3599 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 8.6764 हैक्टेयर भूमि पांचाराम के कब्जा काश्त होने के बावजूद भी कब्जा काश्त के विपरित जाकर सेटलमेंट अधिकारियों से मिलावट कर सरासर गलत रूप से अपने अकेलों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाली जबकि उक्त सम्पूर्ण खसरान् की भूमि पर छोगाराम व कानाराम का अकेलों का कभी कब्जा व काश्त नहीं रहा और न ही वर्तमान में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 का ही है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम खिदरत के खसरा नम्बर 189 रकबा 10.3599 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 8.6764 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 अपने संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 7 ता 15 अपने संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा, प्रार्थीगण संख्या 16 ता 19 अपने संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा एंव प्रार्थीगण संख्या 20 अपने 1/6 हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्व

सब डिविजनल ...लैक्टर
बाप (फलोदी)

इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम [illegible] के खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 8.6764 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के [illegible] पैतृक हिस्सा [illegible] कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न करें अप्रार्थीगण [illegible] जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर [illegible] रिपोर्ट [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गयी। पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी बन्दोबस्त, [illegible] इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि जमाबंदी बन्दोबस्त अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज पाचा वल्द मेवा कौम बिश्नोई सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड थी, पाचा [illegible] के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि पाचा के सभी वारिसान के नाम 1/6-1/6 हिस्सा दर्ज की जानी थी परन्तु पाचा के दो पुत्रों छोगाराम व कानाराम के नाम दर्ज कर दी गयी। पाचा के अन्य वारिसान भी है जो वादपत्र में अंकित वंशावली में वर्णित है। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1 ता 4 के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कितना पैतृक हिस्सा बनता है इसका निर्धारण वाद पत्र के अभिवचनों, जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्योपरान्त तय किया जाना है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नम्बर 189 रकबा 10.3599 हैक्टेयर खसरा नम्बर 93 रकबा 8.6764 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21/4/25

(सुखाराम पिण्डेल आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)